

DR. K. MATHEW KURIAN: What will be done? Incorporating it?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Mr. Sen Gupta, what is it? Are you pressing?

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Since he has said—and it has gone on record—that he will incorporate it in the Bill, I do not press. Unless it is done, I will raise a point of privilege and I will proceed against him.

The BUI was, by leave, withdrawn.

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL, 1970 (Insertion of new article 16A)**

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन् मैं आपको अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल 70 पर विचार किया जाय। इस संशोधन के जरिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 16 के बाद एक नया आर्टिकल 16 (ए) इस प्रकार जोड़ दिया जाय—

"Every citizen above eighteen years of age shall have the right to employment and in the event of his failure to procure any employment, he shall be entitled to an unemployment allowance to be paid by the State at such rate as may be prescribed by the Government concerned from time to time by public notification."

मान्यवर, जो संशोधन मैंने रखा है वह इतना स्पष्ट है कि उसकी शब्दिक व्याख्या की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई थी आर्टिकल 39 (ए) में, जो हमारे संविधान के पार्ट 4 में है वह यह है कि राज्य को यह निर्देश दिया गया था कि

राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे कि इस देश के निवासियों को बराबरी का मौका रहे औरत और मर्द को और उनको अपना जीवन-निर्वाह करने का पूर्ण अधिकार बराबर प्राप्त रहे और इसके लिए सरकार कोई नीति निर्धारित करे। संविधान को लागू हुए इतने दिन हो गए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी संविधान के उस आर्टिकल के अनुसार, उस अनुच्छेद के मुताबिक हर एक नागरिक को काम करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इस देश में करोड़ों व्यक्ति हैं जो काम करने के योग्य हैं, पुरुष और स्त्री जो काम करना चाहते हैं, जिनकी जीविका का कोई साधन नहीं है, जो अपनी जिन्दगी बसर करने के लिए मामूली से मामूली धन्य भी करने को तैयार हों तो भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक लगता है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक नागरिक को जो वयस्क है, काम करना चाहता है—अगर सरकार काम करने की व्यवस्था नहीं कर पाती है—उसको आजी विका के लिए कुछ व्यवस्था करे, कुछ साधन दे, एलाउंस दे। मान्यवर, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि अभी तक संविधान के पार्ट 4 में जो निर्देश दिए गए हैं उनको लागू करने के लिए—नागरिकों को कोई ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि अगर राज्य उन निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध नागरिक अदालत में जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकें, अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए राज्य के विरुद्ध अदालत में प्रार्थना कर सकें। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि अब तक इस प्रकार का प्रयास राज्य की तरफ से नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि यही स्थिति रही तो बहुत दिनों तक आगे आने वाले जमाने में राज्य की तरफ से बेकार लोगों को काम करने का कोई साधन नहीं दिया जायगा और न उन्हें कोई भत्ता दिया जायगा।

मान्यवर, हमारे जैसे गरीब देश में जहाँ पर सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जीवन निर्वाह के लिए जो कम से कम अन्न की चीजें हैं वे भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और बेकारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली आ रही है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने दो कमीशन नियुक्त किए— एक बेकारी के सिलसिले में श्री भगवती की सदारत में, जिन्होंने सुझाव दिए। उस रिपोर्ट पर सरकार की तरफ से सदन में कोई विचार करने का मौका नहीं मिला। एक लेबर कमीशन बना। उसने भी बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में जो श्रमिक वर्ग है, जो फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, सेवारत हैं, उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ सुझाव दिए। उस पर भी कोई विचार-विमर्श नहीं हो सका। उन दोनों समितियों में इस मामले पर गौर किया गया और अगर उन पर विचार हुआ होता तो यह बात स्पष्ट हो जाती और जनता के सामने भी यह बात स्पष्ट आ जाती कि सरकार उन समितियों की सिफारिशों को स्वीकार कर रही है या नहीं, सरकार की तरफ से उनके लिए कोई श्रम की कदम उठाया जायगा, उनको कार्यान्वित किया जायगा अथवा नहीं, वह रिपोर्ट आज भी अलमारियों में पड़ी हुई है और गर्द खा रही है। इसलिए अब अन्न इस बात की है कि सरकार पर माननीय सदन दबाव दे कि जो बेकार हैं उनको जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जाय।

जो बेकारी के तखमीने हैं वह तो बहुत तरह के हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार के पास भी कोई इस तरह का तखमीना नहीं है कि जिससे हम इस नतीजे पर पहुँच सकें कि वास्तव में इस देश में कितने बेकार हैं। वास्तव में, रियलिटी में कितने बेकार हैं यह जानने का कोई तरीका नहीं है। सरकार की ओर से जो रोजगार दफ्तरों में उनकी संख्या दर्ज हो जाती है, मैं समझता हूँ कि वह हमारी बेकारी का दसवांश भी नहीं है। अभी तक जो सबसे ताजा

संख्या उपलब्ध है सरकार की तरफ से इस वर्ष की 31 मार्च तक, उसके अनुसार बताया गया है कि जो इंप्लायमेंट एक्सचेंज हैं उनके यहाँ 81 52 लाख आदमी बेकार दर्ज हैं। लेकिन मान्यवर, उन रजिस्ट्रारों में दर्ज करने का जो तरीका है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तमाम बेकार लोगों का नाम वहाँ चढ़ाया नहीं जाता। एक तो कैटेगरी होती है हर एक आदमी की और अगर कोई आदमी उसका नाम अतने समय के लिए वहाँ दर्ज है उसके बाद उसको पुनर्जीवित नहीं कराता उन इंप्लायमेंट एक्सचेंज में तो उसका नाम काट दिया जाता है। गांव के रहने वाले लड़के या शहरों के बहुत से लोग जो इंप्लायमेंट एक्सचेंजों में अपने नाम दर्ज कराते हैं उन सबको हर तीन महीने के बाद अपने अपने नामों को पुनर्जीवित कराना पड़ता है और कई बार उनके नाम काट जाते हैं और काम उनको नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार जो संख्या इंप्लायमेंट एक्सचेंजों की है वह वास्तविक दर्पण नहीं है बेकारी का। बेकारी कई प्रकार की है। एक तो पूरे तौर से लोग बेकार हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और वे पढ़े लिखे भी हैं या बहुत से लोग उनमें कम शिक्षित हैं, जो केवल दस्तखत करना ही जानते हैं। तीसरे वह लोग हैं जो साल में पूरे समय तक काम नहीं पाते, केवल मौसमी काम पा जाते हैं। सीजनल वर्क उनके पास होता है वह चाहे खेतों में हो या किसी और रोजगार में हो या नौकरियों में हो और उसके बाद वह बेकार रहते हैं और बाकी समय में उनको कोई काम नहीं मिलता। तो ऐसे बेकार भी इन हमारे इंप्लायमेंट एक्सचेंजों में नहीं आ पाते जो बहुत कुछ अनपढ़ हैं या शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। उनके लिए उसमें कोई जगह नहीं होती और इस तरह के लोग रोजगार दफ्तरों को जानते भी नहीं और वहाँ जा कर अपना नाम नहीं लिखा पाते। वह अंगूठा लगाते हैं और इस प्रकार के तमाम लोग जो बेकार हैं उनके लिये सरकार के पास क्या योजना है? क्या कार्यक्रम है कि उनको काम मिले? मान्यवर,

पिछले चुनाव के बाद सरकार की तरफ से इस तरह की बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम बड़े जोरों से उद्घोषित किये गये। जिस हद तक उनको चलाया गया उससे कुछ समय तक उनको, लोगों को काम मिला। उनमें एक कृषि स्कीम फार रूरल अनइंप्लायमेंट थी। उसमें एक हजार आदमी हर जिले में काम में लगाये गये और उससे उनको अस्थायी तौर पर काम मिला, लेकिन दस महीने बाद वह फिर बेकार हो गये। अगर हर साल उनको इस तरह से काम उपलब्ध होता तो वह अपनी जीविका पैदा कर सकते थे, लेकिन वह स्कीम केवल एक साल चली और वह फिर बेकार हो गये और जितना धन उसमें लगा, वह भी बेकार हो गया उसके अलावा पढ़े-लिखे लड़कों के लिए कई स्कीमें चलायी गयीं, उनमें एक थी शिक्षक रखने की। इस संबंध में उनकी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गये और उनको ट्रेनिंग दी गयी।

लेकिन आज भी ट्रेनिंग लेने के बाद भी लड़के हर जिले में—कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले में—कितने ही हैं और चार साल हो गये, अभी तक उन्हें काम नहीं मिल सका। साधारण शिक्षक का कार्य भी उनको नहीं मिल सका, ऊपर के विद्यालयों का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वह स्कीम भी असफल रही। अगर उस स्कीम को चलाया जाता तो मैं समझता हूँ कि उसकी काफी गुंजायश थी। हमारे देश में प्राइमरी शिक्षा न अनिवार्य हुई, न मुफ्त हो पाई। कुछ चूने हुए शहरों में शायद प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है, लेकिन अधिकांश देहातों में, जिलों में यह शिक्षा न तो अनिवार्य हुई, न मुफ्त। अगर हम प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य करते तो मैं समझता हूँ कि इसमें लाखों नवयुवकों को अध्यापक के तौर पर लगाया जा सकता है और उनकी बेकारी दूर हो सकती है। लेकिन वह स्कीम एक बार चलाई गई और फिर वह ठप्प हो गई। नये विद्यालय खोल नहीं पाते, न

नये लड़कों को शिक्षा देने के लिए भर्ती किया जाता है।

उसके बाद एक स्कीम उन्होंने चलाई हाफ ए मिलियन जाव बनाने की। मैं समझता हूँ कि उससे भी कोई प्रगति नहीं हुई और जो लाइव रजिस्टर पर मैंने सँख्या बताई वह निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर इस तरह की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी कि जो बेकार हो उसकी पूरी तौर पर सरकार की जिम्मेदारी हो, ऐसी व्यवस्था या तो अनइंप्लायमेंट ईंशोरेंस स्कीम निकालें या जो इंडस्ट्रियल लेबर हैं, वहाँ पर इस प्रकार का नियम हो कि जब उनके पास काम न हो तो किसी प्रकार का भत्ता उनको दिया जा सकता हो, तभी मैं समझता हूँ कि बेकारी की इस समस्या का एक किनारा छुआ जा सकता है।

दूसरी तरफ जो शिक्षा बढ़ती है और पढ़े-लिखे लड़के निकलते हैं तो जो आर्गनाइज्ड सेक्टर हैं, सरकारी नौकरियाँ हैं, उनमें जगहें नहीं हैं और आज जो मुद्रा स्फीति हो रही है उस समय तो सरकार ने भी भर्ती पर पाबन्दी लगा दी, हर राज्य सरकार भी अक्सर भर्ती रोकती रही है। जो लोग अस्थायी तौर पर कार्य करते रहे उन्हें भी उनके स्थानों से छांटा जा रहा है। इस प्रकार की छंटनी होने से जो लोग हमारे यहाँ मजदूरी में लगे हुए थे उनमें भी गिरावट आ रही है और उनकी भी संख्या कम होने जा रही है। दूसरी तरफ उद्योग धंधों की क्या स्थिति है? वहाँ पर भी जो नई भर्ती होती थी उनका तो सवाल ही नहीं उठता, आज तक सवाल यह हो गया है कि उद्योग धंधों में जितने लोग लगे हुए हैं वह लगे रह जायें, वहाँ से भी छंटनी न हो जाए। जैसे कानपुर में टेक्सटाइल मिल्स हैं। वहाँ पर बराबर ले-आफ हो रहे हैं। दूसरे छोटे-मोटे उद्योग धंधों में जहाँ छोटी छोटों संख्या में लोग लगते हैं उन स्थानों में बिजली की कमी के कारण आम तौर से ले-आफ होता जा रहा है या वह बन्द होते जा रहे हैं। तो वहाँ जो व्यक्ति रोजगार में लगे हुए थे, धंधों में लगे हुए थे, वहाँ भी छंटनी

होती चली जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि इस प्रकार का कोई अलाउंस देने से सारी बेकारी दूर हो जाएगी, मैं मानता हूँ कि लोगों को उद्योग धंधों में लगना है, खेती के अलावा दूसरे कामों में हमारे गांव के रहने वालों को लगाने की जरूरत है। आज खेती में इतना स्थान रह नहीं गया है कि हम उसमें ज्यादा लोगों को काम पर लगा सकें। आये दिन जमीन के बटवारे, और खेती की भूमि के पुनर्वितरण का सवाल उठता है, लेकिन सीलिंग का सवाल उठता है, वह ठीक है, लेकिन उससे बेकारी दूरी करने में कोई सहायता नहीं मिलती, होता यह है कि जितने आज भी लोग खेती में लगे हैं अगर उससे ज्यादा लोग वहां लगा दिये जायें तो फिर वहां काम घट जाता है। ज्यों ही वहां पर किसी मौसम में, खेती के अवसर पर काम होता है, तो ज्यादा अवसर होता है और बाद के बहुत से महीनों में कोई काम नहीं होता। खेती पर से लोगों को हटा कर दूसरे धंधों में लगना चाहिए। उस पर ही हम जोर देते जायें और यह सोचें कि ज्यादा नवयुवक जाकर खेती में काम करें तो उनकी संख्या फिर बढ़ाई नहीं जा सकती।

जो दूसरे धंधे हैं खेती के अलावा, उसमें ज्यादा मौका है लोगों को काम करने का। उसके साथ हमारी जो उपयोग की वस्तु है, उपभोग के साधन हैं, उनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उनकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए उनके उत्पादनों में अधिक आदमी निरन्तर लगते जाते हैं। दुनिया के जो विकसित देश हैं उन तमाम देशों में हम यह पाते हैं कि धीरे-धीरे खेती पर जो लोग लगे थे, वे कम होते गए और दूसरे धंधों में लगे हैं। उनमें लोगों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, जैसे अमरीका है। अमरीका में इस काम में पहले 13 प्रतिशत लोग थे और अब सिर्फ 3-4 प्रतिशत लोग खेती में लगे हैं, बाकी लोग दूसरे कामों में चले गए हैं। उद्योग धंधों के व्यवसाय में, कमास में, ट्रांसपोर्ट में जितना फैलाव हो सकता है, जितने साधन सरकार के पास हो सकते हैं जितना उसमें परिश्रम हो

सकता है उतना शायद खेती में नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा गुझाव यह था कि उन धंधों को बढ़ाने की तरफ विशेष प्रयास होना चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट है इसी तरह के और भी धंधे हैं, काटेज इंडस्ट्री या गृह उद्योग हैं इनमें भी ज्यादा आदमी लगते हैं। इसमें हर आदमी अपने घर पर बैठ कर छोटे पैमाने पर अपने परिवार के साथ कई चीजों का उत्पादन कर सकता है।

कपड़े के कार्य को ले लीजिए। इसके लिए जो टेक्स्टाइल मिल चल रही हैं मैं समझता हूँ इसके कारण कई आदमी बेकार हो गए हैं। अगर यह मिलें बन्द कर दी जाएं तो इसमें जितने आदमी काम कर रहे हैं उसके 10 गुणा आदमियों को काम मिलेगा। वे व्यक्ति जो बुनकर हैं, जो चर्खा चलाते हैं, वे अपने घरों पर बैठ कर यह सारा काम कर सकते हैं। इसलिए शहरों में बड़े-बड़े नगरों को बनाने की, बसाने की जो अनेक समस्याएं आज पैदा होती जाती हैं वे समस्याएं पैदा न हों और अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस नीति को कार्यान्वित करने की आज ज्यादा जरूरत है।

जो काम हम हाथ से कर सकते हैं उस काम को करने के लिये मशीन का उपयोग हमारे देश में नहीं होना चाहिये इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें आदमी ज्यादा से ज्यादा काम पर लगे और पूंजी कम लगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ ईंट बनाने के लिये भट्टों का। मान्यवर, ईंट के भट्टों में मजदूर ज्यादा लगते हैं और इसके लिए अगर मशीन दिल्ली में लग गई सी० पी० डब्लू० डी० के द्वारा या कारपोरेशन के द्वारा ईंट के भट्टों में जो मजदूर लगे हुए हैं वे सब बेकार हो जाएंगे।

इसी प्रकार मकान बनाने के लिये जो भी फ़ैब्रीकेटिड हाउसेज बनाए हैं उससे जो राजगीर, मजदूर हैं, बढ़ई हैं वे तमाम लोग बेकार हो जाएंगे। हर शहर में, मान्यवर, आपको तजुर्बा होगा कि इस तरह के

[श्री श्यामलाल यादव]

मकान बनाने वाले राजगीर, बड़ई एक-दो जगह पर इकट्ठे हो कर बैठे रहते हैं। हमने देखा है दिल्ली में, लखनऊ में, वे लोग दिन भर बैठे रहते हैं। उनको कोई घर पर ले जाने के लिये तैयार नहीं है, क्योंकि सब काम मशीनों से होने लगा है। इस प्रकार के लोग जो श्रम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है इसलिये उनकी संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है। मशीन का अगर उपयोग होगा तो इस बेकारी में इजाफा होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, उनमें कोई कमी नहीं होगी। यह भ्रम है कि मशीन के जरिये ज्यादा उत्पादन करेंगे, अच्छे ढंग से काम होगा। मैं समझता हूँ यह आपका बिल्कुल भ्रम है। अब तक हमने एक तरफा प्रयास किया है और उसके फल-स्वरूप आज हम देख रहे हैं बेकारों की संख्या निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। और पिछले दिनों पांचवीं योजना का जो प्रारूप, दस्तावेज हमारे सामने पेश किया गया था उसमें यह भावना व्यक्त की गई है कि इस देश में बेकारों की संख्या में कमी होने वाली नहीं है। सरकार ने इस बात को भी माना है कि इस योजना-काल में बेकारों की संख्या और भी बढ़ेगी और उसमें कटौती होने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन तमाम अनुभवों के आधार पर आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रकार का प्रयास करें कि हमारे देश में जो छोटे उद्योग-धन्धे हैं उनको बढ़ावा दिया जाय और साथ-साथ इन छोटे-छोटे उद्योगों के लिये मशीनरी का उपयोग न किया जाय, क्योंकि जो काम हाथ से किया जा सकता है, उसको हाथ से ही किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि इस तरह के उद्योगों में, जिनमें हाथ से

काम किया जा सकता है, मशीनरी का उपयोग न किया जाय। मैं यह भी चाहता हूँ कि जिन वस्तुओं का निर्माण किसी एक औद्योगिक क्षेत्र में होता है अथवा जिसका निर्माण छोटे उद्योग-धन्धों में होता है, उसका निर्माण उसी क्षेत्र में होना चाहिये, दूसरे क्षेत्र में उसका निर्माण करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये, ताकि उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को काम मिल सके। आप जानते हैं कि आज हमारी जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम छोटे उद्योग-धन्धों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकेंगे तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में बेकारों की एक बड़ी फौज तैयार होती जाएगी और उससे न केवल इस देश में जनतंत्र को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, बल्कि हमारे जो मूल्य हैं, उनको भी महान् खतरा पैदा हो जाएगा। अब तक हमारे देश में जो योजनाएं बनाई गई हैं उनसे आम लोगों को बहुत कम लाभ हुआ है और इस देश में बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। नतीजा इसका यह होता है कि देश में सरकार का ज्यादातर पैसा, ज्यादातर समय और ज्यादातर परिश्रम शान्ति और व्यवस्था को कायम करने में लग जाता है और कोई विकास या प्रगति का काम नहीं हो पाता है। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि अपने देश में बेकारी को दूर करने के लिये कोई इस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिये, ऐसा कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये, जिसमें छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को बढ़ावा मिले और उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करने में, हाल में यह बात सुनने में आई है कि

उसका समय बढ़ा दिया जाय। अब तक यह स्थिति थी कि हाई स्कूल पास करने में 10 वर्ष, इन्टरमीडिएट पास करने में 2 वर्ष और उसके बाद ग्रेजुएट होने के लिये 2 वर्ष लगते थे। लेकिन अब इस बात का प्रयास हो रहा है कि यह समय बढ़ा दिया जाय और शिक्षा के दरवाजे बन्द कर दिये जायें जिससे कि लोग शिक्षा प्राप्त न कर सकें। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के प्रयासों से बेकारी की समस्या हल होने वाली नहीं है। इन आडम्बरों और बनावटी साधनों से यह समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि युवक तो फिर भी बेकार ही रहेंगे। यह बात भी सही है कि हमारे देश में बेकारी होने के कारण प्रत्येक युवक यह सोचता है कि बेकार बैठने से तो अच्छा है कि कोई उच्च डिग्री ले ली जाय। उनके माता-पिता और अभिभावक लोग भी इसी प्रयास में रहते हैं। लेकिन इस प्रयास को इस प्रकार के आडम्बरों और बनावटी साधनों से रोकने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे हमारे देश में बेकारी की समस्या हल नहीं होगी। हमारे देश में यह विचार-धारा बहुत दिनों से चल रही है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाय। हमारे देश की आजादी से पहले महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा बलाई थी और आजादी के बाद कई राज्यों में उसका प्रयोग भी किया गया, लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली और एक प्रकार से हमारे देश में जो एक पुरानी शिक्षा पद्धति थी, वही प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से मल्टीपरपज स्कूल भी खोले गये। और वोकेशनल स्कूल खोले गये, टेकनिकल स्कूल खोले गये.....

5 P. M.

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू)

श्यामलाल जी, आप एक-आध मिनट में भाषण समाप्त कर सकते हैं ?

श्री श्याम लाल यादव : श्रीमान्, मैं कुछ और अधिक समय चाहूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) :

Let us continue it on the next non-official day for Bills. Now, let us take up Half-An-Hour Discussion. Dr. Nagappa Alva.

**HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON
POINTS ARISING OUT OF THE
ANSWER TO STARRED QUESTION 428
GIVEN ON 9TH AUGUST, 1974, RE
TAKEOVER OF BUNGALOWS IN THE
BELGAUM CANTONMENT FOR THE
USE OF SERVICE OFFICERS**

DR. K. NAGAPPA ALVA (Karnataka):
Mr. Vice-Chairman. Sir, this half-an-hour discussion has reference to Starred Question No. 428 answered in the Rajya Sabha on 9th August, 1974, and the statement laid on the Table of the House. Sir, the statement says:

"Lands in Military areas in Cantonments have been given to persons on "Old grant terms" and other resumable tenures. All such grants are in the nature of licences and such tenures provide for resumption on one month's notice at any time. However, resumption is generally resorted to when the sites are required for defence purposes or where terms of the tenure are violated. The resumptees are entitled to compensation for the structures etc. and alternative land on lease under conditions prescribed.

With the growth of the Armed Forces and changes in their deployment the requirement of land has increased and as such site which had not been resumed so far may be required to be resumed in greater numbers in the future. What is under consideration is a general scheme by which such resumptions can be carried out in a phased manner to meet the defence needs. Till